मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०२५

मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, २०२५

विषय - सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा १९ का संशोधन.

३. धारा २० का संशोधन.

४. धारा ३२ का संशोधन.

५. धारा ३२-क का स्थापन.

६. धारा ३२-ख का संशोधन.

७. धारा ३२-ग का संशोधन.

८. धारा ३३ का संशोधन.

९. धारा ३४ का संशोधन.

१०. धारा ३५ का संशोधन.

११. धारा ४३ का संशोधन.

१२. धारा ४३-क का संशोधन.

१३. धारा ४५ का संशोधन.

१४. धारा ४७ का अंत:स्थापन.

१५. धारा ५५ का संशोधन.

१६. धारा ६३ का संशोधन.

१७. धारा ३२८ का संशोधन.

१८. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०२५

मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा १९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १९ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(क) नगरपालिका क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष अर्थात् सभापति (चेयरपर्सन);".

धारा २० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २० में,-

(एक) उपधारा (२) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(तीन) अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, नगरपालिका क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा;";

(दो) उपधारा (३) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(एक) वह उस तारीख से, जिसको कि ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की जाए, और.".

धारा ३२ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३२ में, शब्द "पार्षदों", जहां कहीं भी वह आया हो, के पूर्व शब्द "अध्यक्ष तथा" अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा ३२-क का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३२-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

निर्वाचन व्ययों का लेखा.

"३२-क. (१) अध्यक्ष तथा पार्षदों का प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के मध्य जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें सम्मिलित हैं, स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा.

स्पष्टीकरण-एक.- किसी अध्यक्ष तथा पार्षद के निर्वाचन के संबंध में किसी राजनैतिक दल द्वारा अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य संगम या निकाय द्वारा अथवा अध्यक्ष तथा पार्षद या उसके निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अध्यक्ष तथा पार्षद या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है.

स्पष्टीकरण दो.- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि सरकार की सेवा में के और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा १२३ के खण्ड (७) में वर्णित वर्गों में से किसी व्यक्ति द्वारा या उस खण्ड के परन्तुक में यथा वर्णित अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में किए गए किसी इंतजाम, दी गई किसी सुविधा या किए गए किसी अन्य कार्य या की गई किसी बात की बावत् उपगत किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अध्यक्ष तथा पार्षद या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है.

(२) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से विहित की जाए.

(३) व्यय के लेखे में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाएं.''.

धारा ३२-ख का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३२-ख में, शब्द "पार्षद'' के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा'' अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा ३२-ग का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३२-ग में, शब्द "पार्षद'' के पूर्व, शब्द "या अध्यक्ष'' अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा ३३ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३३ में, शब्द "पार्षदों'' या "पार्षद'', जहां कहीं भी वह आया हो, के पूर्व शब्द "अध्यक्ष या'' अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा ३४ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"(४) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद दोनों पदों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से सात दिवस के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा.''.

धारा ३५ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या पार्षद के पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचित या नामनिर्देशित होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह-''.

धारा ४३ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ४३ में,-

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "अध्यक्ष तथा'' का लोप किया जाए.

(दो) उपधारा (१) में, शब्द "अध्यक्ष तथा'' और शब्द "एक अध्यक्ष तथा'' का लोप किया जा.

(तीन) उपधारा (३) में, शब्द "अध्यक्ष तथा'' का लोप किया जाए.

धारा ४३-क का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ४३-क में,-

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "अध्यक्ष या'' का लोप किया जाए.

(दो) उपधारा (१) में, शब्द "अध्यक्ष या'' जहां कहीं भी वे आए हों, का लोप किया जाए.

(तीन) उपधारा (२) में खण्ड (दो) में, शब्द और अल्प विराम "अध्यक्ष,'' का लोप किया जाए.

धारा ४५ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ४५ में, पार्श्व शीर्ष में तथा उपबंध में, शब्द "पार्षदों'' से पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा'' अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा ४७ का अंत:स्थापन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ४५ और धारा ४६, जो कि रिक्त है, के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना.

"४७. (१) किसी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो कि विहित की जाए, नगरपालिका क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे कलक्टर को प्रस्तुत न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि, ऐसी कोई प्रक्रिया-

(एक) उस तारीख से जिसको कि ऐसा अध्यक्ष निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की कालावधि के भीतर आरंभ नहीं की जाएगी;

(दो) यदि उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो, आरंभ नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार से अधिक बार आरंभ नहीं की जाएगी.

(२) कलक्टर अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी;

(३) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने के लिए व्यवस्था करेगा.''.

धारा ५५ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ५५ में, शब्द "अध्यक्ष तथा'' का लोप किया जाए.

धारा ६३ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ६३ में, परन्तुक में, शब्द "किसी समिति के सभापति'' से पूर्व, शब्द "उपाध्यक्ष, या'' अन्त:स्थापित किया जाए.

धारा ३२८ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा ३२८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, शब्द "अध्यक्ष तथा'' जहां कहीं भी वे आए हों, का लोप किया जाए.

निरसन या व्यावृत्ति.

१८. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश २०२५ (क्रमांक ०१ सन् २०२५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्यवाही समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के वर्तमान उपबंधों के अनुसार, नगरपालिका परिषदों/नगर परिषदों के अध्यक्षों का निर्वाचन, निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से संचालित होते हैं, यदि नगरपालिका परिषदों/नगर परिषदों के अध्यक्ष नगरीय स्थानीय निकायों के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाते, तब उन्हें अपनी पसंद के प्रथम नागरिक चुनने का अवसर प्राप्त होता. प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष जनता के प्रति जवाबदार होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष पार्षदों के प्रति जवाबदार होते हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि वार्ड पार्षदों का निर्वाचन वार्डों के स्थानीय मुद्दों पर आधारित होता है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष सीधे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और नगरपालिका परिषदों/नगर परिषदों के संपूर्ण क्षेत्र के विषयों की जानकारी रखते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् में आगामी आम निर्वाचन में अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतएव उक्त अधिनियम की धारा १९, २०, ३२, ३२-क, ३२-ख, ३२-ग, ३३, ३४, ३५, ४३, ४३-क, ४५, ४७, ५५, ६३ तथा ३२८ में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ (क्रमांक ०१ सन् २०२५) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
दिनांक : २८ नवम्बर, २०२५.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

(१) खण्ड ५ (२) एवं (३) द्वारा निर्वाचन व्ययों के लेखे के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी उपगत व्यय की राशि की सीमा तथा व्यय लेखे की विशिष्टियां विहित किए जाने; तथा

(२) खण्ड १४ द्वारा अध्यक्ष को वापस बुलाने की रीति एवं प्रस्ताव की प्रक्रिया विहित किए जाने;

के संबंध में नियम बनाएं जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन १९६१) के वर्तमान उपबंधों के अंतर्गत नगरपालिका परिषदों/नगर परिषदों के अध्यक्षों के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित पार्षदों द्वारा किये जाने का प्रावधान होने से निर्वाचित अध्यक्ष जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं तथा जनता को भी अपना प्रथम नागरिक चुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वार्ड पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता द्वारा किया जाता है. जबकि अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा निर्वाचित न होकर वार्ड पार्षदों द्वारा चुना जाता है. लोकतंत्र में स्थानीय निकायों को सक्षमता और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि नगरपालिका परिषदों तथा नगर परिषद् के अध्यक्ष पद का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष प्रणाली अर्थात सीधे मतदाता द्वारा किया जाये.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश २०२५ (क्रमांक ०१ सन् २०२५) प्रख्यापित किया गया था.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण.

* * * *

धारा १९- (१) नगरपालिका परिषद या (नगर परिषद) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

(क) नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् के निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष अर्थात् सभापति (चेयरपर्सन);

* * * *

धारा २० उपधारा (२) (ख)-(तीन) अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, किसी पार्षद द्वारा;

धारा २० उपधारा (३)-(एक) वह पार्षद के निर्वाचन की दशा में, ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तारीख से और अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, धारा ५५ के अधीन आहूत सम्मिलन में अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की जाए; और;

* * * *

धारा ३२- (१) नगरपालिका के पार्षदों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियाँ तैयार कराए जाने और पार्षदों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा.

(२) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने के लिए और नगरपालिका के पार्षदों के सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए बनाएगी.

धारा ३२-क- (१) प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा.

स्पष्टीकरण एक- किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध में किसी राजनैतिक दल द्वारा अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य संगम या निकाय द्वारा अथवा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है.

स्पष्टीकरण दो- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि सरकार की सेवा में के और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२३ के खण्ड (७) में वर्णित वर्गों में से किसी व्यक्ति द्वारा या उस खण्ड के परन्तुक में यथा वर्णित अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निवर्हन में किए गए किसी इंतजाम, दी गई किसी सुविधा या किए गए किसी अन्य कार्य या की गई किसी बात की बाबत् उपगत किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है.

(२) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से विहित की जाए.

(३) व्यय के लेखे में ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाए.

३२-ख-(पार्षद) के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से ३० दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा ३२-क के अधीन रखा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा.

३२-ग-यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है, कि कोई व्यक्ति:-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है; तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या नगर परिषद का (पार्षद) होने के लिए उस आदेश की तारीख से पाँच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निरर्हित होगा.

धारा ३३- ऐसे प्रत्येक मतदाता जो किसी वार्ड में तत्समय प्रवृत्त निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है पार्षदों के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र होगा और कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति पार्षद के किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.

धारा ३५-कोई भी व्यक्ति पार्षद के रूप में निर्वाचन या नाम निर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह-

* * *

धारा ४३-(१) कलक्टर, नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषद् के प्रत्येक निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा. परिषद् के निर्वाचित सदस्य धारा ५५ में यथाविनिर्दिष्ट अपने प्रथम सम्मिलन में निर्वाचित सदस्यों में से, विहित रीति में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे.

(२) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन की अध्यक्षता ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो धारा ५५ की उपधारा (२) में उल्लिखित है.

(३) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पदावधि परिषद् की पदावधि से सहविस्तारी होगी.

धारा ४३क-(१) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (२) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में निर्वाचित किसी पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत उस समय परिषद् का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जाएगा. ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा कलेक्टर को तत्काल रिक्ति को भरने के लिए भेजी जाएगी:

परन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव:-

(एक) उस तारीख से, जिससे कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करे, दो वर्ष की कालावधि के भीतर;

(दो) उस तारीख से, जिस तारीख के पूर्व अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, नहीं होगा.

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए परिषद् का सम्मिलन बुलाया जाएगा तथा नगरपालिका परिषद् के मामले में कलक्टर या किसी प्रथम वर्ग अधिकारी द्वारा और नगर परिषद् के मामले में किसी द्वितीय वर्ग अधिकारी द्वारा जैसा कि उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :-

(एक) तत्समय परिषद् का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम एक षष्ठमांश द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर तत्काल सम्मिलन बुलाया जाएगा;

(दो) ऐसे सम्मिलन की सूचना, तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक पार्षद को सम्मिलन के दस पूर्ण दिन पूर्व भेजी जाएगी;

(तीन) इस धारा के अधीन लाया गया अविश्वास के प्रस्ताव का विनिश्चय गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा.

* * * *

धारा ५५- (१) कलक्टर, धारा ४५ के अधीन पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन बुलाए गए परिषद् के प्रथम सम्मिलन की अध्यक्षता कलक्टर द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी

द्वारा, जो नगरपालिका परिषद् के मामले में डिप्टी कलक्टर को पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो तथा नगर परिषद् के मामले में तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, की जाएगी और इस अध्याय में अंतर्विष्ट वे समस्त उपबंध जो परिषद् के सम्मिलनों के बारे में है, यथाशक्य ऐसे सम्मिलन के संबंध में लागू होंगे:

परन्तु अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को ऐसे सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और मतों के बराबर होने की दशा में परिणाम का विनिश्चय लॉट द्वारा किया जाएगा.''

* * * *

धारा ६३- इस अधिनियम द्वारा या उसके प्रश्नों का विनिश्चय जो इस अधिनियम के अधीन होने वाले सम्मिलन के समक्ष लाए जाएँ, अध्यक्ष तथा उपस्थित निर्वाचित पार्षदों के बहुमत से किया जाए और तो की समानता की दशा में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा:

परन्तु किसी समिति के सभापति के निर्वाचन में मतों की समानता की दशा में अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा और परिणाम का विनिश्चय लाट द्वारा किया जाएगा.

* * * *

धारा ३२८ की उपधारा (१)-

(ख) धारा ४३ की उपधारा (१) के अधीन पार्षदों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में पार्षदों के निर्वाचन के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर या अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पदावधि की समाप्ति के एक मास के भीतर, नगरपालिका के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन न करें; या

परन्तु उसका विघटन करने के पूर्व नगरपालिका को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

* * * *

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.